Spl. ST NDPS No.–02/2026
छ.ग. राज्य वि. जोहन राम

Witness No. ....**02** .... For ....**अभियोजन साक्षी** .... Deposition taken the ....**28.07.2026** .... day of ....Witness's apparent age ....**29 वर्ष** ....

States on affirmation .... my name is .... **जनक राम**...............................

S/W/D/ of .... श्री कष्टू राम .... occuption ....कृषि..............................

Address .... ग्राम कादोपानी, थाना दुलदुला, जिला–जशपुर(छ.ग.).............................

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री सी.पी.सिंह, लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन
अभियुक्त व्ही.सी. के माध्यम से जिला जेल जशपुर से उपस्थित ।
आरंभ समय–12:30 बजे।

01.– मैं व्ही.सी. के माध्यम से उपस्थित आरोपी जोहन राम को पहचानता हूं, वह मेरे गांव का रहने वाला था, जो अब अपने बेटी–दामाद के घर में रहता है।

02.– घटना के दूसरे दिन मैं आरोपी जोहन राम से मुलाकात करने थाना दुलदुला गया था, वही पर पुलिस वाले मुझसे कोरे कागजातों पर हस्ताक्षर करवाये थे, मैं पुलिस की किसी कार्यवाही में शामिल नहीं हुआ था तथा मेरे पूछने पर क्यों हस्ताक्षर करवा रहे हो, तो पुलिस के द्वारा कहा गया कि कुछ नहीं होगा, हस्ताक्षर कर दो। मुझे पुलिस थाना दुलदुला के द्वारा कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुई थी। मैं थाना दुलदुला में पदस्थ उपनिरीक्षक सुनील सिंह को नहीं जानता हूं ।

टीपः– इसी स्तर पर विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि साक्षी अभियोजन प्रकरण का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं कर रहा है, अतः इस साक्षी का सूचक प्रश्नों के माध्यम से प्रतिपरीक्षण किया जाना आवश्यक है । प्रकरण का अवलोकन किया गया, सूचक प्रश्नों के माध्यम से प्रतिपरीक्षण की अनुमति दी गई ।

03.– यह कहना गलत है कि दिनांक 21.03.2026 को थाना दुलदुला के थाना प्रभारी द्वारा मुझे नोटिस धारा 179 बीएनएसएस प्राप्त हुई थी, यद्यपि उक्त नोटिस **प्रदर्श पी–26** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर अवश्य है। यह कहना गलत है कि उसी दिनांक को समय 18.20 बजे ग्राम कादोपानी में उपनिरीक्षक सुनील सिंह के द्वारा मेरे समक्ष मुखबिर से प्राप्त

सूचना की जोहन राम अपने घर के सामने के आंगन में काफी संख्या में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा लगाया है। गांजा के पौधे को देख–रेख कर, खाद–पानी देकर बढ़वा रहा है। यदि तत्काल कार्यवाही नहीं गई तो वह गांजा के पौधे को उखाड़कर, फेंककर, खुर्द–बुर्द कर नष्ट कर सकता है, यद्यपि तलाशी वारण्ट प्राप्त न होने बाबत पंचनामा **प्रदर्श पी–2** है, जिसके बी से बी भाग पर मेरा हस्ताक्षर अवश्य है।

04.– यह कहना गलत है कि उसी दिनांक को मेरे समक्ष आरोपी जोहन राम को पुलिस थाना दुलदुला के थाना प्रभारी द्वारा नोटिस दिया गया था, यघपि उक्त नोटिस धारा–50 एन.डी.पी.एस. एक्ट **प्रदर्श पी–3** है, जिसके बी से बी भाग पर मेरा हस्ताक्षर अवश्य है। यह कहना गलत है कि उसी दिनांक को आरोपी जोहन राम के द्वारा अपनी बाड़ी की तलाशी करने हेतु उपनिरीक्षक सुनील सिंह को अपनी सहमति दी थी, यद्यपि सहमति पत्र **प्रदर्श पी–4** है, जिसके बी से बी भाग पर मेरा हस्ताक्षर अवश्य है। यह कहना गलत है कि उसी दिनांक को समय 20.15 बजे ग्राम कादोपानी में मेरी तलाशी आरोपी जोहन राम के द्वारा ली गई थी,जिसमें पहने हुए कपड़े के अलावा कोई अन्य आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाया गया, यद्यपि गवाहों का तलाशी पंचनामा **प्रदर्श पी–5** है, जिसके बी से बी भाग पर मेरा हस्ताक्षर अवश्य है ।

05.– यह कहना गलत है कि उसी दिनांक को समय 20.00 बजे ग्राम कादोपानी में मेरे समक्ष उपनिरीक्षक सुनील सिंह, स.उ.नि. सामुदान टोप्पो, आरक्षक 687, आरक्षक 506, सी.ए.एफ. आरक्षक 99 तथा सी.ए.एफ. आरक्षक 143 एवं पुलिस की बोलेरो वाहन क्र. CG03–A–1192 की तलाशी आरोपी जोहन राम के द्वारा ली गई थी, जिसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली थी, यद्यपि पुलिस अधिकारी/कर्मचारी/वाहन की तलाशी पंचनामा **प्रदर्श पी–6** है, जिसके बी से बी भाग पर मेरा हस्ताक्षर अवश्य है। यह कहना गलत है कि उसी दिनांक को समय 20.40 बजे ग्राम कादोपानी में थाना प्रभारी सुनील सिंह के द्वारा मेरे समक्ष आरोपी जोहन राम के घर के सामने बाड़ी की तलाशी ली गई, तलाशी पर घर के आंगन से लगा हुआ बाड़ी में हरा पत्तीदार मादक पदार्थ गांजा जैसा पौधा छोटा–बड़ा मिलाकर कुल 90 पौधा पाया गया, यद्यपि उक्त संबंध में आरोपी की बाड़ी का तलाशी पंचनामा **प्रदर्श पी–7** है, जिसके बी से बी भाग पर मेरा हस्ताक्षर अवश्य है।

06.– यह कहना गलत है कि उसी दिनांक को समय 22.00 बजे मेरे समक्ष उपनिरीक्षक सुनील सिंह के द्वारा आरोपी जोहन राम के बाड़ी की तलाशी में मादक पदार्थ गांजा जैसा पौधा के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु मौके पर पर्याप्त रौशनी नहीं होने के कारण जमीन से पौधों को अलग कर कार्यवाही करना उचित नहीं है, यद्यपि उक्त संबंध में रात्रि होने घटना स्थल

पर पर्याप्त रौशनी न होने का **पंचनामा प्रदर्श पी–08** है, जिसके बी से बी भाग पर मेरा हस्ताक्षर अवश्य है।

07.– यह कहना गलत है कि उसी दिनांक को समय 09.30 बजे ग्राम कादोपानी में मेरे समक्ष उपनिरीक्षक सुनील सिंह के द्वारा आरोपी जोहन राम की बाड़ी की तलाशी पर जोहन राम राम के बाड़ी में हरे पत्तीदार मादक पदार्थ गांजा जैसा छोटा–बड़ा मिलाकर कुल 90 पौधे बरामद हुए, यद्यपि मादक पदार्थ बरामदगी पंचनामा **प्रदर्श पी–9** है, जिसके बी से बी भाग पर मेरा हस्ताक्षर अवश्य है । यह कहना गलत है कि उसी दिनांक को समय 09.40 बजे मेरे समक्ष उपनिरीक्षक सुनील सिंह के द्वारा आरोपी जोहन राम के बाड़ी में मिले कुल 90 पौधों में से छोटे–बड़े पौधों के पत्तों को तोड़कर, रगड़कर, सुंघवाकर तथा जलाकर पहचान कराया गया, उक्त पौधों को देखकर तथा सुंघकर मादक पदार्थ गांजा का पौधा होना बताया, यद्यपि मादक पदार्थ का पहचान पंचनामा **प्रदर्श पी–10** है, जिसके बी से बी भाग पर मेरा हस्ताक्षर अवश्य है।

08.– यह कहना गलत है कि उसी दिनांक को समय 09.50 बजे मेरे समक्ष उपनिरीक्षक सुनील सिंह के द्वारा आरोपी जोहन राम के बाड़ी में मिले हरे पत्तीदार गांजा जैसे छोटे–बड़े सभी पौधों का गणना करने पर कुल 90 नग पौधा होना पाया गया, यद्यपि उक्त संबंध में मादक पदार्थ गांजा पौधों की गणना पंचनामा **प्रदर्श पी–11** है, जिसके बी से बी भाग पर मेरा हस्ताक्षर अवश्य है। यह कहना गलत है कि उसी दिनांक को समय 10.05 बजे ग्राम कादोपानी में मेरे समक्ष उ.नि. सुनील सिंह के द्वारा आरोपी जोहन राम के बाड़ी में लगे 90 पौधों को जमीन से उखाड़कर, जड़ की मिट्टी झाड़कर सुरक्षित जमीन पर अलग–अलग रखवाया गया, यद्यपि उक्त संबंध में उखाड़ पंचनामा **प्रदर्श पी–12** है, जिसके बी से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर अवश्य है।

09.– यह कहना गलत है कि उसी दिनांक को समय 10.15 बजे ग्राम कादोपानी में मेरे समक्ष उ.नि. सुनील सिंह के द्वारा आरोपी जोहन राम के बाड़ी से बरामद कुल 90 पौधों की माप कराकर पंचनामा तैयार किया गया, यद्यपि उक्त संबंध में मादक पदार्थ गांजा पौधे की माप पंचनामा **प्रदर्श पी–13** है,जिसके बी से बी भाग पर मेरा हस्ताक्षर अवश्य है। यह कहना गलत है कि उसी दिनांक को समय 10.45 बजे ग्राम कादोपानी में मेरे समक्ष तौलकर्ता अशोक राम के द्वारा मौके पर लाए गए इलेक्ट्रॉनिक तराजू को बिजली कनेक्शन से जोड़ने पर तराजू का रीडिंग सही होना पाया गया, यद्यपि उक्त संबंध में तराजू का भौतिक सत्यापन पंचनामा **प्रदर्श पी–14** है, जिसके बी से बी भाग पर मेरा हस्ताक्षर अवश्य है ।

10.– यह कहना गलत है कि उसी दिनांक को समय 11.05 बजे मेरे समक्ष तौलकर्ता अशोक राम के द्वारा जोहन राम के घर के बाड़ी से बरामद 3 फीट लंबाई से ऊपर एवं 6.4 फीट लंबाई से कम पौधों का वजन कराने पर 10.600 कि.ग्रा., जो कपड़े में सीलबंद कपड़ा सहित वजन 10.700 कि.ग्रा. तथा छोटे–बड़े 62 पौधे, जिसकी लंबाई 3 फीट से कम तथा एक फीट से अधिक पौधों का वजन 03.400 कि.ग्रा. जो कपड़े में सीलबंद कपड़ा सहित वजन 03.500 कि.ग्रा. होना पाया गया, यद्यपि उक्त संबंध में तैयार तौल पंचनामा **प्रदर्श पी–15** है, जिसके बी से बी भाग पर मेरा हस्ताक्षर अवश्य है। यह कहना गलत है कि उसी दिनांक को समय 11.15 बजे मेरे समक्ष उ.नि. सुनील सिंह के द्वारा आरोपी जोहन राम के बाड़ी से बरामद मादक पदार्थ गांजा के पौधों एवं घटना स्थल की मिट्टी एवं गांजा के जड़ की मिट्टी तथा पौधों को उखाड़कर सीलबंद करने हेतु थाना दुलदुला के सील अंग्रेजी में "PS – DULDULA" लिखा हुआ, को चपड़ा लगाकर सीलबंद किया गया, यद्यपि उक्त संबंध में नमूना सील पंचनामा **प्रदर्श पी–16** है, जिसके बी से बी भाग पर मेरा हस्ताक्षर अवश्य है।

11.– यह कहना गलत है कि उसी दिनांक को समय 11.25 बजे ग्राम कादोपानी जोहन राम का घर के बाड़ी में मेरे समक्ष उ.नि. सुनील सिंह के द्वारा जिस बाड़ी की जमीन पर गांजा का पौधा लगा है, वह जोहन राम के कब्जे, पट्टे स्वामित्व की जमीन है, यद्यपि उक्त संबंध में भूमि स्वामित्व पंचनामा **प्रदर्श पी–17** है, जिसके बी से बी भाग पर मेरा हस्ताक्षर अवश्य है।

12.– यह कहना गलत है कि दिनांक 22.03.2026 के समय 11.55 बजे ग्राम कादोपानी जोहन राम के बाड़ी से बरामद होने पर गांजा के पौधे को जमीन से उखड़वाया हुआ, जड़ में मिट्टी लगा हरे पत्ती एवं तनायुक्त कुल 28 नग पौधे जो सीलबंद कपड़े सहित वजन 10.700 कि.ग्रा., गांजा के छोटे–बड़े कुल 62 नग जमीन से उखड़वाया हुआ मिट्टी लगा हुआ हरे पत्ती एवं तनायुक्त 62 नग पौधे जो सीलबंद कपड़े सहित वजन 3.500 कि.ग्रा., कुल 90 नग पौधों के पैकेट को मार्क ए–1 तथा छोटे पौधों के पैकेट को मार्क ए–2 कर चिन्हांकित किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 70,000/– रूपये को जप्त किया गया तथा उसी दिनांक को समय 12.10 बजे ग्राम कादोपानी में जोहन राम के बाड़ी में छोटे–बड़े कुल 90 नग मादक पदार्थ गांजा का पौधे के जड़ के पास की मिट्टी करीब 100 ग्राम, गांजा के पौधों को उखाड़ने के बाद जड़ से झड़ा हुआ मिट्टी करीब 100 ग्राम को जप्त किया गया था, यद्यपि उक्त संबंध में जप्ती पत्रक क्रमशः **प्रदर्श पी–18 व 19** है, जिनके बी से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर अवश्य है।

13.– यह कहना गलत है कि उसी दिनांक को समय 12.40 बजे ग्राम कादोपानी आरोपी के घर आंगन में मेरे समक्ष उ.नि. सुनील सिंह के द्वारा आरोपी जोहन राम का मेमोरेण्डम कथन धारा–23 भा.सा.अधि. के तहत लिया गया था, यद्यपि आरोपी का मेमोरेण्डम कथन

प्रदर्श पी–20 है, जिसके बी से बी भाग पर मेरा हस्ताक्षर अवश्य है। यह कहना गलत है कि दिनांक 21.03.2026 को समय 19.30 बजे मेरे समक्ष थाना प्रभारी दुलदुला सुनील सिंह के द्वारा घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया था, यद्यपि उक्त मौका नक्शा **प्रदर्श पी–21** है, जिसके बी से बी भाग पर मेरा हस्ताक्षर अवश्य है। यह कहना गलत है कि दिनांक 11.05.2026 को हल्का पटवारी के द्वारा मेरे समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा तथा पंचनामा तैयार किया गया था, यद्यपि उक्त संबंध में नजरी नक्शा **प्रदर्श पी–22** एवं पंचनामा **प्रदर्श पी–23** है, जिनके बी से बी भाग पर मेरा हस्ताक्षर अवश्य है।

14.– यह कहना गलत है कि दिनांक 22.03.2026 को समय 13.10 बजे थाना दुलदुला के अप.क्र. 0/2026 अंतर्गत धारा 20(क)(1) एन.डी.पी.एस. एक्ट में मेरे समक्ष आरोपी जोहन राम को गिरफ्तार किया गया था, यद्यपि गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी–24** है, जिसके बी से बी भाग पर मेरा हस्ताक्षर अवश्य है।

15.– साक्षी को उसका पुलिस बयान **प्र.पी.–27** का अ से अ भाग "मजदूरी का काम करता हूं –––– तथा कागजात में हस्ताक्षर किया हूं " पढ़कर सुनाए जाने पर ऐसा कथन नहीं देना व्यक्त किया। यह कहना गलत है कि मैं आरोपी को बचाने के लिए आज न्यायालय में झूठा कथन कर रहा हूं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा चीफ एलएडीसी श्री सुदेश कुमार गुप्ता अधिवक्ता वास्ते आरोपी

16.– यह कहना सही है कि आरोपी जोहन राम एवं उसकी पत्नी, अपने बेटी–दामाद के साथ ग्राम पहाड़मुड़ा कुनकुरी में निवास करते हैं। यह कहना सही है कि हम लोगों को उनसे जब भेंट करना होता है, तब वहीं जाकर मुलाकात करते हैं। यह कहना सही है कि ग्राम कादोपानी में आरोपी जोहन राम से मेरी कभी कोई भेंट या मुलाकात नहीं हुई है ।

समय –01:30 बजे ।

गवाह को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया । मेरे निर्देश पर टंकित ।

साक्षी का हस्ताक्षर – ....

सही/–	**सही/–**
(श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे)	**(श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे)**
विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.	**विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.**
जिला–जशपुर(छ.ग.)	**जिला–जशपुर(छ.ग.)**

..